भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 1570
उत्तर देने की तारीख : 12/03/2025

देश में बौद्धिक अक्षमता

1570. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के संबंध में कोई सांख्यिकीय आंकड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस जानकारी की कमी के क्या कारण हैं;
(ख) परिवारों द्वारा त्याग दिये गये बेघर व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है; और
(ग) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे से निपटने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल.वर्मा)

(क): वर्ष 2011 की जनगणना में बौद्धिक दिव्यांगताओं के बारे में जानकारी एकत्र नहीं की गई थी, क्योंकि दिव्यांगता की यह श्रेणी नि:शक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल नहीं थी। हालाँकि, मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता की दिव्यांगता श्रेणियों को नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 में शामिल किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 ने बौद्धिक दिव्यांगता की श्रेणी को प्रस्तुत किया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश में दिव्यांगजनों की आबादी के आंकड़ों के लिए 2011 की जनगणना पर निर्भर करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 15,05,964 मानसिक मंदता वाले व्यक्ति और 7,22,880 मानसिक रूग्णता वाले व्यक्ति हैं।

(ख) से (ग): 'लैंड' और 'कॉलोनाइजेशन' राज्य के विषय हैं। बेघरों सहित गरीबों के लिए आवास से संबंधित सभी योजनाएं संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के प्रयासों में सहयोग करता है, ताकि देश भर में बेघरों सहित सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराया जा सके। दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के तहत एक अन्य योजना 'शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (एसयूएच)' है, जो शहरी बेघरों को बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित स्थायी आश्रय (शेल्टर) प्रदान करने पर केंद्रित है। ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब वर्गों के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) कार्यान्वित की जा रही है।

*****